

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

1 JAN 2016

क्रमांक : प. 1(12)एमई/ग्रुप-1/2012 पार्ट

जयपुर, दिनांक :

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर पी.एण्ड एस.एम. विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी स्कीम के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति पर चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यरत रहेंगे :-

आचार्य से वरिष्ठ आचार्य पद हेतु

क्र. सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	पूव में ग्रेड-पे स्वीकृति तिथि	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि
1	डॉ. रेखा भटनागर	01-4-2013	01-4-2013
2	डॉ. आर.के. मनोहर	01-4-2013	01-4-2013
3	डॉ. रेणु नारायण माथुर	01-4-2013	01-4-2013
4	डॉ. शलभ शर्मा	01-4-2013	01-4-2013
5	डॉ. अमिता कश्यप	01-4-2013	01-4-2013
6	डॉ. अफीफा जफर	01-4-2013	01-4-2013
7	डॉ. रेणु बेदी	01-4-2013	01-4-2013
8	डॉ. के.के. मीणा (अजजा)	---	01-4-2015
9	डॉ. कुसुम लता गौड	01-4-2013	01-4-2013
10	डॉ. सुनील भटनागर	01-4-2013	01-4-2013

उक्त चिकित्सक शिक्षकों में से जिन चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी स्कीम के तहत वरिष्ठ आचार्य पद की ग्रेड-पे राशि रुपये 10,000/- दिनांक 01-4-2013 से पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है, उनको उपर्युक्तानुसार दिनांक 01-4-2013 से ही वरिष्ठ आचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। उन्हें यदि उक्त पदोन्नति पर कोई लाभ दिया जाना शेष हो तो, नियमानुसार दे दिया जावे। शेष चिकित्सक शिक्षकों का वेतन निर्धारण पदोन्नत पद पर नियमानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पदोन्नति तिथि से किया जावे।

सह आचार्य से आचार्य पद हेतु

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि
1	डॉ. अवतार सिंह दुआ	01-4-2014
2	डॉ. रूपा शर्मा	01-4-2015
3	डॉ. मोनिका राठौड	01-4-2015

सहायक आचार्य से सह आचार्य पद हेतु

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि
1	डॉ. महेश चन्द वर्मा (अजा)	01-4-2015
2	डॉ. दिलीप राज	01-4-2015
3	डॉ. प्रीति गुप्ता	01-4-2015
4	डॉ. राजीव यादव	01-4-2015

आदेश से,



(सम्पत मल लोढा)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर।
7. सहायक प्रोग्रामर, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(12)एमई/ग्रुप-1/2012 पार्ट

JAN 2016
जयपुर, दिनांक :

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर जनरल सर्जरी विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी स्कीम के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति पर चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यरत रहेंगे :-

आचार्य से वरिष्ठ आचार्य पद हेतु

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	पूर्व में ग्रेड-पे स्वीकृति तिथि	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि
1	डॉ. राजकमल जैनव (अजा)	01.4.2013	01.4.2013
2	डॉ. राजगोविन्द शर्मा	01.4.2013	01.4.2013
3	डॉ. अजय मालवीय	----	01.4.2014
4	डॉ. लक्ष्मण अग्रवाल	01.4.2013	01.4.2013
5	डॉ. सीताराम (अजा)	01.4.2013	01.4.2013
6	डॉ. राजेन्द्र माण्डिया (अजजा)	----	01.4.2015
7	डॉ. दीपक वर्मा	----	01.4.2015
8	डॉ. अशोक परमार (अजा)	01.4.2013	01.4.2013

उक्त चिकित्सक शिक्षकों में से जिन चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी स्कीम के तहत वरिष्ठ आचार्य पद की ग्रेड-पे राशि रुपये 10,000/- दिनांक 01-4-2013 से पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है, उनको उपर्युक्तानुसार दिनांक 01-4-2013 से ही वरिष्ठ आचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। उन्हें यदि उक्त पदोन्नति पर कोई लाभ दिया जाना शेष हो तो, नियमानुसार दे दिया जावे। शेष चिकित्सक शिक्षकों का वेतन निर्धारण पदोन्नत पद पर नियमानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पदोन्नति तिथि से किया जावे।

सह आचार्य से आचार्य पद हेतु

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि
1	डॉ. ऋचा जैन	01-4-2015
2	डॉ. शालु गुप्ता	01-4-2015
3	डॉ. शिवकुमार बुनकर (अजा)	01-4-2015
4	डॉ. राजेन्द्र बागड़ी (अजजा)	01-4-2015

सहायक आचार्य से सह आचार्य पद हेतु

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि
1	डॉ. संजीव जायसवाल	01-4-2014

आदेश से,

(हस्ताक्षर)

(सम्पत मल लोढ़ा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर।
7. सहायक प्रोग्रामर, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)

शासन उप सचिव